कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका द्वारा दुमका जिला में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन तथा डी0आई0जी0 आवास में अतिक्रमित 14.217 हे0 वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के तहत् अपयोजन हेतु प्रस्ताव।

भाग– III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

14. क्या वह स्थल जहॉ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हॉ/नहीं)। यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–06.04.2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण नोट संलग्न।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग 'ख' में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है ?

सहमत हैं।

16. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

मौजा बंदरजोड़ी, सरदारी सर्किल–दुमका नं0–12 दाग नं0–350/अंश, रकवा–3.036 हे0 में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, दाग नं0–472/अंश, रकवा–4.237 हे0 में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, दाग नं0–456/अंश, रकवा–1.234 हे0 में पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास, दाग नं0–350/अंश, रकवा–0.870 हे0 में पुलिस लाईन, दाग नं0–364/अंश, रकवा–2.833 हे0 में आउटडोर स्टेडियम, दाग नं0–317/अंश, रकवा–0.101 हे0 में राजभवन, दाग नं0–14/अंश, रकवा–1.465 हे0 में राजभवन दाग नं0–13, रकवा–0.441 हे0 में राजभवन है। कुल वनभूमि का रकवा–14.217 हे0 है। भवनों का निर्माण काफी पूर्व में किया गया है, जिसका तत्कालीन अन्य विकल्प प्रतीत नहीं होता है। निर्मित भवनों का झारखण्ड सरकार के ही अन्य विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस बल एवं अन्य के विभागीय आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा आउटडोर स्टेडियम निर्मित है, जो जन उपयोगी है। घटनोत्तर वनभूमि अपयोजित करने हेतु विचारार्थ।

9/4/18

वन संरक्षक
दुमका अंचल, दुमका

तारीख :– 9/4/18
स्थान :–दुमका।

हस्ताक्षर,
नाम:–जे0पी0केशरी,
सरकारी मोहर

D:\TERRITORIAL CIRCLE, DUMKA\CF, DUMKA\SANTOSH\ALL RETURNS. C.F 2018\Sahindra-Babu\Part -III Hindi.doc